न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2018 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

सीताराम पिता मोहनलाल जी भाट, निवासी सवीनाखेड़ा मठ्ठ मार्ग, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री गुसाई जी महाराज सवीनाखेड़ा, श्री गोपाल नन्दगिरी गुरू स्वर्गीय श्री शिवगिरी जी महाराज, निवासी सवीनाखेड़ा मठ्ठ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तग्रत धारा 29 राजस्थान काश्तकारी अधि0 विरूद्ध निर्णय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर मुकदमा नंबर 117/15 निर्णय दिनांक 11–06–2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाशक प्रार्थी
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

11–06–2019

प्रार्थी ने निवेदन किया कि इस प्रकरण बहस हेतु नियत था, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दिनांक 14–05–2018 को लिखित बहस पश की गयी। अपीलान्ट द्वारा बहस व लिखित बहस हेतु समय चाहा गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 06–06–2018 नियत की तथा अपीलान्ट को उससे पूर्व लिखित बहस पेश करने का आदेश दिया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23–05–2018

को आदेश 6 नियम 17 व आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पेश किये गये, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मार्क कर शामिल पत्रावली किये जाने का आदेश दिया गया। अपीलान्ट ने आदेश 6 नियम 17 के आवेदन में वादोत्तर की कलम संख्या 11 में 11–क व 11–ख जोड़े जाने का निवेदन किया था, किन्तु दोनों प्रार्थना पत्रां पर निर्णय प्रदान किये बिना ही सहवन से अंतिम निर्णय प्रदान कर दिया गया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः न्यायहित में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमारे पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा रिव्यू आवेदन में मात्र यह आपत्ति उठायी गयी है कि उसके द्वारा आदेश 6 नियम 17 व सपठित धारा 151 जा.दी. तथा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत आवेदन दिनांक 23–05–2018 को प्रस्तुत किये गये हैं, जिस पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का निर्णय पारित किये बिना अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया है, उनके द्वारा यह नहीं बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में क्या त्रुटि की गयी है, जबकि इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14–05–2018 अनुसार आदेश दिनांक 06–06–2018 से तीन दिवस पूर्व अपीलान्ट को लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आदेश दिनांक 11–06–2018 तक भी उनके द्वारा किसी प्रकार की लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गयी है, जबकि अपील में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण आदेश में नियत था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं कर उसके स्थान पर आदेश 6 नियम 17 व सपठित धारा 151 जा.दी. तथा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत जो आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः रिव्यू आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–06–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल

दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर